न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

वाद संख्या :– 64/2025

जीसीएमएस नं0 :– 2025/167

उनवान :– रतनलाल विजय बनाम राज0 सरकार

::– **आदेश** –::

दिनांक: 24.04.2025

वादी एवं तहसीलदार, तहसील आमेर द्वारा प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण में वादी ने निवेदन किया कि मेरे पिताजी स्व0 श्री लादू रामजी के गॉव बीलपुर, तहसील आमेर में ख0न0 398, 399, 456, 457, 464 क्षेत्रफल 1.6900 हैक्टे0 कृषि भूमि है। मेरे पिताजी के हम 6 पुत्र है। नाथूलाल, ग्यारसीलाल, गणपतलाल, बाबूलाल, रतनलाल, मोहनलाल जिनका हिस्सा 2/3 है तथा मेरे चाचाजी स्व0 बिरदी चन्द जी के एक पुत्र सत्यनारायण है, जिसका हिस्सा 1/3 है। विक्रम सं. 2058 की प्रति संलग्न है। लादूराम जी के पुत्र गणपतलाल के मृत्यू हो जाने पर उसका पुत्र राजू है। जमाबंदी सन् 2013 की प्रतिलिपी संलग्न है, जिसमें 2/3 एवं 1/3 हिस्सा अंकित है। अभी हाल सन् 2024 में जमाबंदी निकलवाई जिसमें पॉच भाई का 1/15 छठा भाई स्व0 गणपतलाल का पुत्र राजू का हिस्सा 1/3 दर्शाया है, जो गलत है। जमाबंदी की प्रतिलिपी संलग्न है। कृपया भूमि के हिस्से में 6 भाईयो का हिस्सा सही/बराबर किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम बीलपुर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 398, 399, 456, 457, 464 क्षेत्रफल 1.6900 हैक्टे0 ग्यारसीलाल, नाथूराम, बाबूलाल, मोहनलाल, रतनलाल पि0 लादूराम हि0 1/3, राजकुमार विजय पुत्र गणपतलाल विजय हि0 1/3, जाति महाजन, शरदचन्द पुत्र नाथूलाल

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर